

कार्यालय

संयुक्त

निदेशक

फा0स0

मुख्यालय

लखनऊ।

पत्रांक:आर-24/जे0डी0/फा0स0/लखनऊ-14(जीएन)

250

दिनांक:सितम्बर

2014

सेवा में,

महाप्रबन्धक (वास्तु एवं नियोजन)

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण,

गौतमबुद्धनगर।

विषय:

मैसर्स रतन बिल्डटेक प्रा0 लि0, द्वारा प्लॉट न0-जी0एच0-01डी, सेक्टर-16, ग्रेटर नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर में प्रस्तावित गुप हाउसिंग भवन के निर्माण हेतु संशोधित प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

यूआईडी:

2014/3362/जीबीएन/गौतमबुद्धनगर/489/जेडी

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से उक्त प्रश्नगत भूखण्ड पर आवासीय भवन निर्माण हेतु मानचित्र एवं प्रश्नोत्तरी उपलब्ध कराते हुए संशोधित अग्निशमन प्रोवीजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रश्नगत भवन के स्थल का निरीक्षण एवं मानचित्रों का अध्ययन अग्निशमन अधिकारी ग्रेटर नोएडा से कराया गया तथा उनकी आख्या दिनांक: 09-09-2014 का सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर द्वारा कर अपनी आख्या उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ को प्रेषित की गयी जिसका उनके द्वारा सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण कर अपनी संस्तुति आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध करायी एवं उपलब्ध कराई गई संस्तुति आख्या का परीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया प्रस्तावित भवन का विवरण निम्नवत है:-

भवन की संरचना:-प्लॉट एरिया-16,863.00 वर्ग मी0 है जिसकी प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस कार्यालय के समांक पत्र दिनांक: मार्च 19, 2014 के माध्यम से निर्गत की गयी है वर्तमान में एरिया विवरण संशोधित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है।

क्रमांक	नाम टावर	तलों की संख्या		भूतल कवर्ड एरिया वर्ग मी0		टिपिकल कवर्ड एरिया वर्ग मी0		स्टेयर की संख्या एवं चौड़ाई		ऊँचाई मीटर में	
		पूर्व	पश्चिम	पूर्व	वर्तमान	पूर्व	वर्तमान			पूर्व	वर्तमान
1	ब्लॉक-टी-1	बी+एस+26		648.64	707.93	520.43	505.44	02 अदद-1.5/1.25		84.90	89.60
2	ब्लॉक-टी-2	बी+एस+26		673.92	736.22	538.75	538.75	02 अदद-1.5/1.25		84.90	89.60
3	ब्लॉक-टी-3	बी+एस+26		710.18	772.52	571.91	571.91	02 अदद-1.5/1.25		84.90	89.60
4	ब्लॉक-टी-4	बी+एस+26		710.18	772.52	571.91	571.91	02 अदद-1.5/1.25		84.90	89.60

भवन का अधिभोग विवरण:- प्रस्तावित भवन का अधिभोग आवासीय अपार्टमेंट (एन0बी0सी-2005 आवासीय श्रेणी ए0-4) के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढाँचागत व्यवस्था:-

1- पहुँच मार्ग:- भूखण्ड के सामने मानचित्रों में रोड की चौड़ाई 60 मी0 मानको के अनुसार अंकित की गई है, जो भवन विनियमावली के मानको के अनुसार है तथा प्रवेश द्वार जिनकी चौड़ाई एन0बी0सी0 मानक के अनुसार है।

2- सैटबेक:- प्रस्तावित भवन का सैटबेक निम्नवत है:-

ए0-अग्रभाग-15.00 मी0।

बी0-पृष्ठ भाग-09.00 मी0।

सी0-पार्श्व भाग प्रथम-09.00 मी0।

डी0-पार्श्व भाग द्वितीय-09.00 मी0 प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार भवन विनियमावली मानको के अनुसार है जो सदैव हार्ड सरफेस युक्त एवं अवरोध मुक्त रखे जाये जिसमें किसी प्रकार का स्थाई/ अस्थायी निर्माण कार्य अनुमत्य नहीं होगा तथा टावरों के चारों ओर 09 मीटर का मोटरबुल हार्ड सरफेस युक्त खुला स्थान रखा जाना अनिवार्य है।

3- निकास मार्ग:- प्रस्तावित भवन के प्रत्येक टावर में 02 स्टेयरकेश प्रस्तावित है जिनकी चौड़ाई 1.5 एवं 1.25 मी0 प्रस्तावित है, जिनकी फ्लोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमत्य सीमा के अन्तर्गत है तथा एक स्टेयर को फायर टावर के रूप में निर्मित किया जायेगा।

4- रिफ्यूज एरिया:- भवन में रिफ्यूज एरिया हेतु प्रत्येक फ्लैट में बालकनी का प्राविधान है जो एन0बी0सी0 मानक के अनुसार है।

घ-अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था:- प्रश्नगत प्रस्तावित भवन में एन0बी0सी0 2005 मानक के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाएँ कराया जाना वाँछनीय है।

1-भूमिगत:-प्रश्नगत भवन में 2,00,000 दो लाख लीटर क्षमता का भूमिगत टैंक एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वाँछनीय है।

निदेशक
आर.एस. लखनऊ

- 2-पम्पस-प्रश्नगत भूमिगत टैंक के पास 2850 एल0पी0एम0 क्षमता के 02 अदद मेन पम्प, इतनी ही क्षमता का एक अदद डीजल चालित पम्प तथा 01 अदद जौकी पम्प मानको के अनुसार स्थापित कराये जाने वॉच्छनीय है जिनका हैड भवन की ऊँचाई के अनुसार होना अनिवार्य होगा।
- 3-टेरिस टैंक-प्रश्नगत प्रत्येक ब्लाक/टावर की टेरिस पर टेरिस टैंक क्षमता 25,000 पच्चीस हजार ली0, स्थापित कराया जाना एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।
- 4-होजरील-प्रस्तावित प्रत्येक ब्लाक के प्रत्येक तल पर होजरील एन0बी0सी0 मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।
- 5-वेटराइजर- प्रस्तावित भवन में 150 एमएम का वेटराइजर एन0बी0सी0 एवं भारतीय मानक ब्यूरो आई0एस0-3844 मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।
- 6-यार्ड हाईड्रेण्टस- प्रस्तावित भवन में 150 एमएम का वेटराइजर का प्राविधान तथा उस पर यार्ड हाईड्रेण्टस एवं फायर सर्विस इन्लेट का मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।
- 7-ऑटोमेटिक रिप्रिकलर सिस्टम- प्रश्नगत भवन के समस्त तलो पर ऑटोमेटिक रिप्रिकलर सिस्टम एन0बी0सी0 एवं सम्बन्धित मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।
- 8-ऑटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम- प्रश्नगत भवन में सम्पूर्ण तलो पर ऑटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।
- 9-मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम- सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो में मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।
- 10-प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर)- प्रस्तावित भवन में निर्माण के उपरान्त फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0- 2190 के अनुसार वॉच्छनीय है।
- 11-स्मोक एक्स्ट्रैक्शन- प्रश्नगत भवन के बेसमेन्ट में स्मोक एक्स्ट्रैक्शन एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।
- 12-हैलीपैड- प्रश्नगत ब्लाक में हैलीपैड की व्यवस्था एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।
- 13-एग्जिट साईनेज- सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो में एग्जिट साईनेज एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।
- 14-पी0ए0 सिस्टम- सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो में पी0ए0 सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।
- 15-प्रशिक्षित स्टाँफ- प्रश्नगत भवन में अधिष्ठापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के संचालन हेतु व्यवसायिक रूप से दक्ष कर्मी एवं प्रशिक्षित फायर आफिसर एन0बी0सी0-2005 के प्रस्तर सी0-6 के अनुसार नियुक्त किया जाना वॉच्छनीय है।
- उपरोक्त के अतिरिक्त निर्माण कार्य के उपरान्त अग्निशमन व्यवस्थाओं को वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति के श्रोत से संयोजित किया जाना एवं इनके संचालन हेतु प्रशिक्षित स्टाँफ रखा जाना अनिवार्य होगा तथा भवन में फायर ड्रिल, अग्निशमन पद्धति का अनुरक्षण व सावधि अग्नि सुरक्षा लेखा परीक्षा कराई जानी मानको के अनुसार वॉच्छनीय होगी यदि किसी प्रकार का निर्माण कार्य कराया जाता है तो उसके लिए अग्निशमन विभाग अलग से स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य होगी।
- अतः उपरोक्तानुसार मैसर्स रतन बिल्डटेक प्रा0 लि0, द्वारा प्लाट न0-जी0एच0-01डी, सेक्टर-16, ग्रेटर नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर में भवन के निर्माण हेतु संशोधित प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत की जाती है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2010 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 में उल्लेखित मानको के अनुसार कराये जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर स्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।
- संलग्नक: अनुमोदित मानचित्र अदद।

(पी0क0राव)
संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस
उप0प्र0 लखनऊ।
८.१०.२०२०

- प्रतिलिपि: 1-उपनिदेशक, फायर सर्विस मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2-मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3-अग्निशमन अधिकारी ग्रेटर नोएडा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4-मैसर्स रतन बिल्डटेक प्रा0 लि0, द्वारा प्लाट न0-जी0एच0-01डी, सेक्टर-16, ग्रेटर नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर को उक्त के सन्दर्भ में अनुपालनार्थ।